प्रकरण संख्या 15/2022 प्रतापसिंह व अन्य बनाम शंकरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलावास, तहसील देलवाड़ा में आराजी नंबर 146 रकबा बिस्वा एवं आराजी नंबर 389/146 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। प्रार्थी की आराराजी नंबर 389/146 के पश्चिम में विपक्षी संख्या 1 की भूमि स्थित है, जिसकी आड़ में विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। उक्त आराजियात प्रार्थी को आवंटित हुई हैं तब से प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 389/146 विपक्षी संख्या 1 व प्रेमसिंह, लालसिंह, करणसिंह, भूरसिंह, भीमसिंह, भगवतसिंह के अधिपत्य की है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही प्रार्थना पत्र 106/20 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रसत आराजी नंबर 389/146 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर भंवरसिंह पिता फूलसिंह व चेनसिंह पिता किशनसिंह के जीवनकाल से विपक्षी संख्या 1 व अन्य का कब्जा चला आ रहा है। अतः विपक्षी शंकरसिंह को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13.06.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 106/20 खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट [illegible] से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि मौके पर वर्तमान समय में कौन काबिज है इस आधार पर अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र के साथ ही अपीलान्ट के इन्द्राज दुरस्ती के प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण कर दिया, जबकि दोनों दावों की प्रकृति अलग–अलग है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे को ध्यान में रखे बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवचेन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तुत विवेचन करते हुए अपने निर्णय में यह माना है कि आराजी नंबर 389/146 का प्रार्थी तनहा खातेदार है, जो प्रार्थी शंकर को आवंटित हुई है, जबकि विपक्षीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने नाम घोषणा कराना चाहते हैं। विपक्षीगण द्वारा जो लिखा–पढ़ी दिनांक 07.03.1968 प्रस्तुत की गयी है, वह रजिस्टर्ड नहीं है तथा पक्षकारान के हस्ताक्षर भी उक्त लिखा–पढ़ी पर नहीं हैं। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी शंकरसिंह के पक्ष में मानते हुए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में मानते हुए रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 106/20 अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर